कार्यालयः प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड।

85, राजपुर रोड़, देहरादून 248001, फोन न0 01352740926

Email:pccfvanpanchayat@gmail.com

पत्रांक-ए-219 / 18-5 दिनांक 19/08/2021

सेवा में,

समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक,
उत्तराखण्ड।

विषयः— **पंचायती वनों से प्राप्त लीसे को अलग चट्टे में रखकर नीलाम/बिक्रय की कार्यवाही के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है कि वन पंचयतों से उत्पादित लीसे का सही समय पर निस्तारण न होने के कारण लीसे के मूल्य में ह्रास हो रहा है। यह भी प्रकाश आया है कि लीसा बिक्री के उपरान्त प्राप्त धनराशि का वन प्रभागों द्वारा संबंधित वन पंचायतों को हस्तान्तरण में भी अत्यन्त बिलम्ब किया जाता है। यह प्रक्रिया उचित नहीं है। अतः व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन करने के उद्देश्य से वन पंचायतों से उत्पादित लीसे का निस्तारण हेतु निम्न निर्देश निर्गत किये जा रहे है। इनका पालन प्रत्येक दशा में सुनिश्ति किया जाये।

1. वन पंचायत से प्राप्त लीसा को लीसा डिपुओं मे रखे जाने हेतु अलग स्थान निर्धारित किया जाये।
2. पंचायती वनों से प्राप्त लीसे की नीलामी प्राथमिकता के आधार पर प्रति माह संपादित की जाये। यदि आवश्यकता हो तो माह में दो बार भी नीलामी की कार्यवाही की जा सकती है।
3. प्राथमिकता के आधार पर किये गये लीसे की नीलामी के उपरान्त All in Cost से विभागीय खर्चो को कम करते हुये अवशेष धनराशि उसी वित्तीय वर्ष में वन पंचायत को हस्तान्तरित की जायें।
4. पंचायती वनों से विदोहित लीसे की रायल्टी का निर्धारण पृथक से केवल पंचायती वनों के लीसे की नीलामी के दर के आधार पर किया जाये, जिससे दर निर्धारण में विलम्ब न हो।

भवदीय,

(राजीव भरतरी)
प्रमुख वन संरक्षक,(HoFF)
उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या-ए-219/ 18-5 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, कुमांऊ, वन पंचायत, वन्यजीव एवं एन0टी0एफ0पी एवं आजीविका उत्तराखण्ड।
2. समस्त संबंधित वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।

प्रमुख वन संरक्षक,(HoFF)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या-ए-219/ 18-5 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत एवं वन्यजीव उत्तराखण्ड़ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमुख वन संरक्षक,(HoFF)
उत्तराखण्ड, देहरादून।